

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर, जयपुर शहर प्रथम

शासिकादत बनाम मुक्तिश शर्मा

ख्या/वर्ष

- 59/20 / 20

नांक आज्ञा
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से


विशेष विवरण

19/8/20

पत्रावली (पत्रावली) / जयपुर (शासिकादत/मुक्तिश शर्मा)

उपरोक्त आदेश क्रमांक 05/11/20 के अनुसार
अपील जयपुर की आदेश क्रमांक 22 पर
समन के लिए बरत बरतनी से अनुरोध
जारी थी एवं आदेश क्रमांक 15 की कोर्टी
की अपील पर अनुरोध जारी था। परन्तु
क्रमांक 05 गृह से आदेश समन
जारी हो जाने के उपरान्त भी अपील
जयपुर द्वारा आदेश क्रमांक 22 के लिए
सर्वेचने के समन एवं 15 की कोर्टी की
अपील नहीं की।

हजार न्यायालय उद्दिष्टिक के
उपरोक्त आदेश पर भी यह पता है
कि न्यायालय उद्दिष्टिक क्रमांक
11/11/20 में विशेष पक्षकार को सूचना
बिना बिना इंतरेम नहीं जारी किया
जयपुर। उद्दिष्टिक 39 क्रमांक - 3/20 में
यह Mandatory Provision है कि
इसे उद्दिष्टिक के 0 क्रमांक पर्याप्त जारी।
जयपुर। राजकीय डाक द्वारा विशेष
पक्षकार को समन की अपील अनुरोध।
अनुसूचित इसके जारी। जयपुर



 सहायक कलेक्टर
 जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर शहर प्रथम
राजगिवाहन कमी बनाम शुक्राक्षी

मुकदमा संख्या/वर्ष : ए-89/20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/02/25	<p>रजिस्टर्ड डाक द्वारा डेप्युटी डायरेक्टर को मे विफल दस्तावेज एवं जॉर्नी की कार्यवाही करने में भी विफल दस्तावेज।</p> <p>इसका धारण कर सुप्रीम कोर्ट 09 मार्च 20 के फैसले पर प्रत्यक्ष नष्ट होने से कारणित किन्तु डाकवेज के मायने एवं नुकसान अर्थात् किन्तु शुक्राक्षी द्वारा नुकसान उठाया जाये।</p>


सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम